9
2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम खारिया पटवार मंडल डोकन स्थित भूमि खाता सं0 19 की खातेदारी में प्रार्थी के मामा छोटू की वल्दियत रामदेव गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के मामा का सही नाम छोटू पुत्र चिमना है। जमाबंदी संवत 2039–2042 की जमाबंदी में सहवन से छोटू पुत्र रामदेव अंकित कर दिया जबकि छोटू के पिता का सही व वास्तविक नाम चिमना है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गत जमाबंदियां, मृतक खातेदार छोटू का मतदाता पहवचान पत्र,कृषि भूमि पासबुक ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी चिमनाराम का वारिस प्रमाण पत्र, मृतक खातेदार छोटू का मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत न्यौराना का प्रमाण पत्र 24.05.2022 की प्रतियां प्रस्तुत की है। जिनमें प्रार्थी के मामा छोटू के पिता का नाम चिमनाराम अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू.अ./2022/612/ दिनांक 30.05.22 प्राप्त हुई है जिसके अनुसार भी मृतक खातेदार छोटू के पिता का नाम चिमनाराम है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र व बतौर गवाह राकेश कुमार पुत्र मातादीन व जगदीश पुत्र भूराराम का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के मामा का नाम छोटु पुत्र रामदेव गलत दर्ज है। जबकि सहीं प्रविष्टी छोटु पुत्र चिमनाराम की पुष्टि गत जमाबंदियों, मृतक खातेदार छोटू के मतदाता पहचान पत्र, कृषि भूमि पासबुक, ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी चिमनाराम के वारिस प्रमाण पत्र, मृतक खातेदार छोटू के मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत न्यौराना के प्रमाण पत्र 24.05.2022, तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2022 से होती है। साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि स्वयं के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र व बतौर गवाह राकेश कुमार पुत्र मातादीन व जगदीश पुत्र भूराराम के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 379/2021
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
खारिया प0 मं0 डोकन	खाता सं0 19	छोटू पुत्र रामदेव	छोटु पुत्र चिमनाराम

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)